न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 407/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00339)

01. हरदेव पुत्र मुरलीधर जाति माली, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ढाणी बीड़वाली नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. संतोष देवी पुत्री स्व. श्री नन्दलाल पत्नी श्री मुकुट बिहारी शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी गांव अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
02. रतन पुत्री स्व. श्री नन्दलाल पत्नी श्री प्रहलाद शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी मकान नम्बर 99, शिवपुरी, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर।
03. सुशीला पुत्री स्व. श्री नन्दलाल पत्नी श्री केदारमल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी गांव करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
04. आंची देवी पुत्री स्व. श्री नन्दलाल शर्मा पत्नी रामावतार शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी बागवास की ढाणी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल निवासी शास्त्री नगर अमानीशाह नाला के पास जयपुर राजस्थान।
05. उषा देवी पुत्री स्व. श्री नन्दलाल शर्मा पत्नी श्री कृष्ण शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी हरसोली, तहसील चौंमू जिला जयपुर राजस्थान।
06. लक्ष्मीनारायण सैनी पुत्र श्री नारायण सैनी, जाति माली निवासी मौरीजा रोड़ चार दुकान भज्जा की ढाणी तहसील चौमू जिला जयपुर राजस्थान।
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
08. सूरजमल सैनी पुत्र रूपनारायण सैनी निवासी रूण्डल तहसील आमेर जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

09. भीमराज पुत्र रूडाराम, जाति माली निवासी ढाणी बीड़वाली तन नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
10. धमेन्द्र पुत्र चन्दाराम,
11. राजेन्द्र पुत्र बिरधीचन्द,
12. रतन लाल पुत्र जमनालाल समस्त जाति माली निवासी ढाणी भाटा वाली कलवानियों का बास तन नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

उपस्थितिः—

1. **श्री अजीत सैनी एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री भवानीसिंह एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 29.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता नन्दलाल पुत्र मंगलचन्द शर्मा कौम ब्राहाम्ण निवासी नायन को साबिक खसरा नम्बर 685 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1658 रकबा 2.14 हैक्टयर भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त तथाकथित आवंटन दिनांक 19.04.1961 का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता द्वारा वस्तुस्थिति को छुपाते हुए तथा गलत तथ्यों के आधार पर विधिक प्रावधानों के विपरित तथा मौका स्थिति के विपरित करवाया गया था जो प्रथम दृष्टिया ही निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 685 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि सम्वत् 2016 की जमाबन्दी में किस्म भूमि कृषि योग्य नही है बल्कि भूमि चराई के योग्य है इस किस्म की भूमि का आवंटन कानूनन नही किया जा सकता क्योंकि यह भूमि काबिल चराई तथा जोहड़ी है जिसमें बरसात का पानी चारों ओर से आकर भरता है। इस प्रकार प्रारम्भिक रूप से ही आवंटन गलत किया हुआ है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तथाकथित आवंटित भूमि सार्वजनिक चराई योग्य भूमि रही है इसमें ग्राम व ढाणियों तथा काश्तकारों के पशु गाये, भैंस, बकरी इत्यादि चरती है तथा जब बरसात का पानी भरता है तो मवेशी पानी पीते है। इस भूमि का उपयोग–उपभोग हमेशा ग्रामवासियों के सार्वजनिक हित में ही होता चला आ रहा है जो सैकड़ो वर्षो से पशुओ व जानवरों के चरने तथा पानी पीने के उपयोग में चली आ रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता नन्दलाल शर्मा ने आवंटन सलाहकार समिति के सामने उक्त वर्णित सभी तथ्यों को छिपाया है तथा समिति को अन्धकार में रखकर अपने नाम गलत प्रकार से भूमि का आवंटन करवा लिया है, साथ ही आवंटन सलाहकार समिति ने भी मौके की स्थिति का अध्ययन नही किया है, ना ही तथाकथित आवंटित भूमि के आवंटन से पूर्व उसका मौका देखा गया तथा मौके की स्थिति की रिपोर्ट भी नही ली गई। इस प्रकार तथाकथित भूमि का आवंटन सम्बंधित नियमों के विपरित होने के करण अपास्त किये जाने योग्य है

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वर्तमान में भूमि की कीमत अधिक होने के कारण से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के मन में लालच आ गया है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 व 5 ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 02.05.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को कर दिया उसकी जानकारी अपीलान्ट एवं अन्य ग्रामीण जनता को हुई तब से आवश्यक दस्तावेजात खोजबीन करके तथा कुछ तहसील कार्यालय व जयपुर राजस्व विभाग से प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) दिनांक 01.10.2014 को पेश किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का सही रूप से अवलोकन नही कर आवंटन को 58 वर्ष पश्चात् चुनौती दिये जाने को मियाद बाहर अंकित कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2019 पारित किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र तथा अपील के आधारों पर स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटन तथ्यों

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के छिपाने, छल–कपट करने, मिथ्या व्यपदेशन करने, नियमानुसार उद्घोषणा नही किये जाने, आवंटन कार्यवाही नही किये जाने और जोहड़, चरागाह, तलाई की भूमि व पशुओं के पीने के पानी की भूमि को आवंटित किया गया है, जो कानूनन नही किया जा सकता है। इसलिये उक्त प्राश्नगतः आवंटन प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य है और ऐसे आवंटन के सम्बन्ध में कोई मियाद निर्धारित नही होती है बल्कि इस प्रकार के प्रारम्भ से विधि विरूद्ध आवंटन को कानूनन कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2019 अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी के हक में जो न्यायोचित हो आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडन्ट संख्या 6 व 8 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 व 5 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 को जरिये रस्टिर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूमि का बेचान किया गया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 उक्त भूमि के सद्भाविक क्रेता है एवं उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 676 वाके ग्राम कलवानियों का बास विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 08.01.2016 खोला गया है एवं रेस्पोडेन्ट राजस्व रिकार्ड में बतौर काबिज काश्त रिकार्डेड काश्तकार खातेदार चले आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 ने अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि को सही कराने में काफी रूपये खर्च किये है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रही है जो सम्वत् 2074 से 2077 तक वाके ग्राम कलवानियों का बास में 0.74 हैक्टयर पर तारामीरा फसल गिरदावरी में दर्ज रिकार्ड है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में अपीलान्ट का कोई लेना–देना व किसी प्रकार कोई सरोकार नही है बल्कि अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 को अनावश्यक ही परेशान व हैरान करने की नीयत से आवंटन आदेश के विरूद्ध असाधारण विलम्ब लगभग 58 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो असाधारण विलम्ब से मियाद बाहर होने से खारिज योग्य ही था। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त एवं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 19.04.1961 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता नन्दलाल पुत्र मंगलचन्द को किया गया है तथा आवंटी की मृत्यु

P.T.O.

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

पश्चात् उनकी पुत्रीयों रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, व 5 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 02.05.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 को किया गया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 उक्त वादग्रस्त आराजी के सद्भाविक क्रेता है जबकि अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई लोकस स्टेण्डाई ही नही है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 19.04.1961 के विरूद्ध असाधारण विलम्ब लगभग 58 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त असाधारण विलम्ब को कण्डोन किये जाने की समुचित कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध ही नही थे। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने, राजस्व रिकार्ड में आवंटी का नाम दर्ज करने एवं आवंटी की मृत्यु पश्चात् उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने तथा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का बेचान होने पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण एवं राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज इत्यादि की कार्यवाही स्वयं लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा की गई है तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को बिना किसी लोकस स्टेण्डाई के प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14(4) एवं अपील इत्यादि प्रस्तुत करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2019 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।